



**The Srimati Radhika Sinha Institute and Sachidanand Sinha
Library (Requisition and Management) Act, 2015**

Act 8 of 2015

Keyword(s):

Occupier, Schedule Institution, Deed of Agreement, Employees, Trust, Authority, Srimati Radhika Sinha, Sachidanand Sinha, Requisition, Management

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 वैशाख 1937 (श0)
(सं0 पटना 536) पटना, बुधवार, 6 मई 2015

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

6 मई 2015

सं0 एल0जी0-1-5/2015/57 लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 29 अप्रील, 2015 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी
(अधिग्रहण और प्रबंधन) अधिनियम, 2015

(बिहार अधिनियम 8, 2015)

प्रस्तावना।—श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी, पटना के अधिग्रहण, अन्तरण तथा उत्तम प्रबंधन और विकास हेतु और इससे संबंधित और आनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध का प्रावधान करने के लिए अधिनियम ।

भारत—गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। — (1) यह अधिनियम श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी (अधिग्रहण और प्रबंधन) अधिनियम, 2015 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा पुस्तकालय, पटना तक होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

2. परिभाषाएँ।— इस अधिनियम में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी, पटना के संबंध में “अधिभोगी” से अभिप्रेत है वह व्यक्ति, न्यास जिसका नियत तिथि के तुरन्त पहले अनुसूचित संस्थान के प्रबंध और प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण था ।

(ख) “अनुसूचित संस्थान” से अभिप्रेत है, श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी (बिहार राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय), पटना अवस्थित डाकघर, जी0पी0ओ0, पटना एवं थाना—कोतवाली, जिला—पटना और इसमें निम्नलिखित शामिल है:-

(i) अनुसूचित संस्थान से सम्बंधित सभी चल-अचल सम्पत्ति जिसमें भूमि, भवन (नींव अधिसंरचना और छत भी शामिल है) उपस्कर, पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ तथा अन्य साज-सामान शामिल हैं;

(ii) अनुसूचित संस्थान की सभी उपलब्ध नगद और बैंक-जमा, सावधि जमा राशि, सुरक्षित निधि तथा अन्य जमा राशि आदि;

(iii) अनुसूचित संस्थान के प्रयोजनार्थ न्यास द्वारा धारित अथवा अधिकृत स्टाफ क्वार्टर सहित सभी भूमि और भवन;

(iv) अनुसूचित संस्थान से संबद्ध सभी लेखापुस्त, रजिस्टर और अन्य दस्तावेज अथवा उसमें पूर्व विनिर्दिष्ट कोई सम्पत्ति या आस्तियाँ ।

(ग) “करार-विलेख” से अभिप्रेत है अनुसूचित संस्थान के न्यासी तथा राज्य सरकार के बीच दिनांक 24 नवम्बर 1955 (चौबीस नवम्बर उन्नीस सौ पचपन) को निष्पादित करार;

(घ) ‘कर्मचारी’ से अभिप्रेत है अनुसूचित संस्थान के वैसे कर्मचारी, जिनके नाम अनुसूचित संस्थान के वेतन भुगतान पंजी में हैं;

(ङ) ‘निदेशक’ से अभिप्रेत है पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय, बिहार, पटना का निदेशक;

(च) ‘न्यास’ से अभिप्रेत है न्यास-विलेख को श्री सच्चिदानन्द सिन्हा सुपुत्र बख्शी रामयाद सिन्हा द्वारा 10 मार्च 1926 को निष्पादित श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी, पटना न्यास-विलेख;

(छ) ‘नियत तिथि’ से अभिप्रेत है इस अधिनियम के, प्रारंभ होने की तिथि;

(ज) ‘पट्टा’ से अभिप्रेत है अनुसूचित संस्थान के न्यासी एवं जिला पदाधिकारी, पटना के बीच दिनांक 05 अगस्त 1926 को 2.28 एकड़ (लगभग) भूमि के लिए पट्टा विलेख जिसमें अनुसूचित संस्थान के भवन, कर्मचारी आवास एवं चाहरदिवारी के भीतर खाली भूमि अवस्थित है;

(झ) ‘विहित’ से अभिप्रेत है इस अधिनियम द्वारा विहित अथवा अधिनियम के अधीन बनाई गई नियमावली द्वारा विहित;

(ञ) ‘विहित नियमावली’ से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-11 के अधीन बनायी गयी नियमावली;

(ट) ‘अध्यक्ष’ बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार, बिहार, पटना से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008, समय-समय पर यथा संशोधित, के अधीन गठित प्राधिकार का अध्यक्ष;

(ठ) ‘प्राधिकार’ से अभिप्रेत है बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम, 2008 के अधीन गठित प्राधिकार;

(ड) ‘सरकार’ से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार ।

3. नियत तिथि को निहित होना।— (1) श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी, पटना का अधिकार, हक और हित अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से राज्य सरकार में अन्तरित तथा निहित हो जाएगा ।

(2) सभी ऐसी आस्तियाँ, अधिकार, पट्टाधृति शक्तियाँ, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा भूमि, भवन, भण्डार, उपकरण, उपस्कर, नकद, शेष हाथ नकदी, सुरक्षित निधि, विनिवेश और बही ऋण सहित सभी चल एवं अचल सम्पत्ति तथा ऐसी सम्पत्ति में या उससे उद्भूत सभी अधिकार और हित तथा उससे संबंधित सभी लेखा पुस्तकें, रजिस्टर और

अन्य दस्तावेज, जो नियत तारीख के तुरंत पहले भारत के भीतर या बाहर अनुसूचित संस्थान के स्वामित्व, कब्जे, अधिकार या नियंत्रण में थे; अनुसूचित संस्थान में शामिल समझे जायेंगे।

(3) इस धारा की उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात से यथास्थिति, राज्य सरकार से निश्चित तिथि को अनुसूचित संस्थान से संबंधित किसी ऋण, बंधक, कर्ज या अन्य अवधारणों या धारणाधिकार (लियन), न्यास या अन्य सम्पत्तियों के मोचन के लिए किसी रकम के भुगतान की अपेक्षा नहीं की जायगी।

4. निहित हो जाने के कतिपय परिणाम।— तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय नियत तारीख से—

(1) अनुसूचित संस्थान के समापन अथवा परिनिर्धारण संबंधी कोई भी कार्यवाही किसी न्यायालय में नहीं चलाई जाएगी या जारी नहीं रहेगी।

(2) करार-विलेख, न्यास-विलेख एवं पट्टा-विलेख के सभी उपबंध और अनुसूचित संस्थान से सम्बंधित सभी समितियाँ एवं उप-समितियाँ इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि से निरस्त और विघटित समझी जायेंगी।

(3) अनुसूचित संस्थान में पदधारण करने वाला प्रत्येक पदाधिकारी या कर्मचारी राज्य सरकार को अन्तरित हो गया समझा जायेगा तथा वे राज्य सरकार के द्वारा यथा अवधारित पद नाम से राज्य सरकार का पदाधिकारी या कर्मचारी हो जायेगा। उनका पदनाम, पदावधि, पारिश्रमिक और सेवाशर्तें जब तक राज्य सरकार उसमें परिवर्तन न करें, वही होगी जो अनुसूचित संस्थान के राज्य सरकार में निहित होने के समय थी; जब तक कि राज्य सरकार उनके पदावधि, पारिश्रमिक एवं सेवाशर्तें परिवर्तित न कर दें। पदधारण करने वाले प्रत्येक पदाधिकारी या कर्मचारी के संबंध में, उनकी नियुक्ति की वैधता इत्यादि का जाँच राज्य सरकार शिक्षा विभाग अथवा बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार के माध्यम से करा सकेगी एवं जाँच में प्राप्त तथ्य एवं अनुशंसा के आलोक में यथोचित कार्यवाई कर सकेगी।

5. कब्जा देने विषयक कर्तव्य।— (1) धारा-3 के अधीन बिहार राज्य में अनुसूचित संस्थान के निहित हो जाने के बाद, प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे या अधिरक्षा या नियंत्रण में अनुसूचित संस्थान से संबंधित सम्पत्ति या आस्तियाँ, लेखा-पुस्त, सेवा-पुस्त, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज हों, उन्हें तुरन्त बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार के निदेशक अथवा प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति/अधिकारी को दे देगा।

(2) निदेशक ऐसी किसी सम्पत्ति या आस्तियों, लेखा-पुस्त, रजिस्टर या दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई कर सकेगा तथा यथावश्यक बल का प्रयोग कर या करवा सकेगा।

(3) इस धारा के अधीन बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार को कब्जा-परिदान, राज्य सरकार को कब्जा-परिदान के बराबर होगा।

(4) पूर्ववर्ती उपधाराओं के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई सम्पत्ति या आस्तियों, लेखा-पुस्त, रजिस्टर या दस्तावेज विहित प्राधिकार को देने हेतु दायी होगा, जिसे वह प्राधिकार को नहीं दिया हो।

6. ब्योरा देने विषयक कर्तव्य।— अनुसूचित संस्थान का अधिभोगी नियत तिथि के तुरन्त बाद, प्राधिकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पदाधिकारी को अनुसूचित संस्थान के प्रतिभूति पर, नियत तिथि को, विद्यमान सभी दायित्वों एवं बाध्यताओं का तथा अनुसूचित संस्थान से संबंधित सभी करार-पत्रों और अन्य लिखतों का, करार की डिग्री अधिनिर्णय (अवार्ड), स्थायी आदेश और अनुसूचित संस्थान से नियोजित किसी व्यक्ति की छुट्टी, पेंशन, उपदान, भविष्यनिधि और अन्य सेवाशर्तों से संबंधित अन्य लिखतों सहित, व्यय का पूर्ण ब्योरा देगा।

7. अधिग्रहण के लिए दी जाने वाली रकम।—राज्य सरकार अनुसूचित संस्थान तथा उसके अधिकार, हक और हित के अधिग्रहण के लिए किसी प्रकार के मुआवजा का भुगतान का प्रश्न उपस्थित होने पर दावे के जाँचोपरान्त अधिक से अधिक एक रुपये मात्र दे सकेगी :

परंतु राज्य सरकार को अधिकार होगा कि अनुसूचित संस्थान की वित्तीय स्थिति को समुचित रूप से अंकेक्षित कराकर संस्थान के अवैतनिक सचिव से या किसी पदाधिकारी अथवा कर्मचारी आदि से जिसके संबंध में अंकेक्षण द्वारा यह पाया जाए कि उसने किसी राशि का दुर्विनियोग किया है, दुर्विनियोग की गयी रकम वसूल कर ले।

8. कृत्य, शक्ति एवं प्रक्रिया।— (1) अनुसूचित संस्थान के कृत्यों का सम्यक सम्पादन करने के लिए प्राधिकार एक पदाधिकारी नियुक्त करेगा अथवा राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद किसी पदाधिकारी को अधिकृत करेगा, जो अनुसूचित संस्थान से संबंधित कार्यों का नियंत्रण एवं सम्पादन करेगा।

(2) अनुसूचित संस्थान के सुगम एवं बेहतर कार्य-सम्पादन हेतु प्राधिकार ऐसा परिणियम बनायेगा जो राज्य की जनता के हित में हो।

(3) प्राधिकार को निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में वही शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो किसी सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी वाद पर विचारण करते समय या डिग्री का निष्पादन करते समय प्राप्त रहती है।

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना।

(ख) शपथ-पत्र (एफिडेविट) पर साक्ष्य लेना।

(ग) अपने द्वारा किये गए किसी आदेश का निष्पादन करना या कराना।

(घ) यथा विहित अन्य विषय यदि कोई हो।

(4) प्राधिकार को अपनी प्रक्रिया विनियमित करने तथा उसे अभिलेख पर प्रथम द्रष्टया भूल की स्थिति में, अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करने अथवा उसमें रहने वाली गणितीय या लिपिकीय भूलों का सुधार करने की भी शक्ति होगी।

(5) यदि किसी कारणवश अनुसूचित संस्थान में पद रिक्त (अनुपस्थिति को छोड़ कर) हो जाये तो प्राधिकार राज्य सरकार के अनुमोदन से कर्मचारी की नियुक्ति कर सकेगा ताकि अनुसूचित संस्थान का कार्य सम्यक रूप से संपादित हो सके।

9. अधिकारिता का वर्जन।— प्राधिकार का प्रत्येक निर्णय अंतिम होगा और उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायगा।

10. शास्ति।— (1) कोई भी व्यक्ति जो—

- (क) अनुसूचित संस्थान के या, उससे सम्बन्धित किसी भी संपत्ति आस्ति, लेखा पुस्त, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज का, जो उनके कब्जे अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, धारा-5 के उल्लंघन में विहित प्राधिकारी के सुपुर्द करने से रोक लें; या
- (ख) दोषपूर्वक ऐसी संपत्ति आस्ति, लेखा-पुस्त, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज का कब्जा प्राप्त कर ले या
- (ग) धारा-5 के उपबंधों का उल्लंघन करने के उद्देश्य से किसी सम्पत्ति, आस्ति, लेखा-पुस्त, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को छिपा ले, नष्ट कर दे या विलोपित कर दे; या
- (घ) जानबूझकर धारा-5 द्वारा यथा अपेक्षित कोई ब्योरा नहीं दे; या
- (ङ) धारा-6 की अपेक्षाओं के अनुपालन में ऐसा कोई ब्योरा दे जो मिथ्या हो और उसे जिसे मिथ्या होने की जानकारी हो या विष्वास करने का कारण हो या वह जिसके सत्य होने का विष्वास नहीं करता हो; तीन वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) कोई न्यायालय, सरकार की पूर्वानुमति के सिवाय इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

11. नियम बनाने की शक्ति।—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, यथाशीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में कुल चौदह दिनों से अन्यून अवधि के लिए हो, रखे जाएंगे। वह अवधि एक या एक से अधिक क्रमवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी जब तक कि कोई दूसरी तारीख नियत न हो, वे सभी नियम, ऐसे रूपान्तरण या बातिलीकरण के अधीन रहते हुए, जो विधानमंडल के दोनों सदन उक्त अवधि के दौरान उसमें करना चाहें, राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे, किन्तु ऐसा उपान्तरण या बातिलीकरण उनके अधीन पहले किये गये कुछ भी या की गयी किसी कार्रवाई की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले नहीं होगा।

(3) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के ऐसे आदेश द्वारा, जो प्रावधान से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई आदेश नियत तिथि से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

12. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षण।— राज्य सरकार, प्राधिकार अथवा अनुसूचित संस्थान के किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य का सम्पादन करने के लिए, अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं चलाई जायेगी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बने किसी नियम या दिये गये आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक किया गया हो या किये जाने के लिए आषयित हो।

13. निरसन एवं व्यावृत्ति।— (1) अनुसूचित संस्थान से संबंधित पूर्व में निर्गत सभी अधिनियम, नियम, परिनियम एवं आदेश एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अधिनियम, नियम, परिनियम एवं आदेश के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन किया गया या की गयी समझी जायगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था, जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

6 मई 2015

सं0 एल0जी0-1-5/2015/58 लेज:।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2015 को अनुमत श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाईब्रेरी (अधिग्रहण और प्रबंधन) अधिनियम, 2015 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से

इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

SRIMATI RADHIKA SINHA INSTITUTE AND SACHIDANAND SINHA LIBRARY
(REQUISITION AND MANAGEMENT) ACT, 2015
(Bihar Act 8, 2015)

AN
ACT

Preamble .-To provide provisions for requisition, transfer and better management and development of SRIMATI RADHIKA SINHA INSTITUTE AND SACHIDANAND SINHA LIBRARY, Patna and for matters connected and incidental there to .

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty sixth year of the Republic of India as follows :-

1. **Short title, extent and commencement.** —(1) This Act may be called SRIMATI RADHIKA SINHA INSTITUTE AND SACHIDANAND SINHA LIBRARY (Requisition And Management) Act, 2015.

(2) It shall extend to the SRIMATI RADHIKA SINHA INSTITUTE AND SACHIDANAND SINHA LIBRARY, Patna.

(3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.

2. **Definition.** — In this Act unless the context otherwise requires :-

(a) **“Occupier”** in relation to SRIMATI RADHIKA SINHA INSTITUTE AND SACHIDANAND SINHA LIBRARY, Patna, means the person, trust, who immediately, before the appointed day, had the overall control over the management and administrations of the scheduled Institution,

(b) **“Schedule Institution”** means, SRIMATI RADHIKA SINHA INSTITUTE AND SACHIDANAND SINHA LIBRARY, Patna (Bihar State Central Library, Patna) situated at Sinha Library Road, Post Office G.P.O Patna, Police Station Kotwali, District Patna, and it includes the following :-

(i) All movable, and immovable property in which land, building the foundation, superstructure and roofing thereof are included furniture, books, magazines and other fixtures pertaining to scheduled institution,

(ii) All available cash and bank deposits, Term deposits amounts, reserve fund, and other deposit amount etc of the scheduled institution,

(iii) All land and building including staff quarters held or authorised by the Trust for the purpose of Scheduled institution,

(iv) All books of Accounts, registers, and other document related to the Scheduled institution or to any property or assets here in before specified;

(c) **“Deed of Agreement”** means, the agreement between the trustees of the scheduled institution and the Government of Bihar executed on 24th November 1955;

(d) **“Employees”** means of the scheduled institution such person whose names are on pay roll of scheduled institution,

(e) **“Director”** means the Director, Library and Information Centre, Bihar, Patna,

(f) “Trust” means, the deed of Trust of SRIMATI RADHIKA SINHA INSTITUTE AND SACHCHIDANAND SINHA LIBRARY PATNA, executed on 10th march 1926; byshri Sachchidanand Sinha, son of Bakshi Ramyad sinha,

(g) “Appointed day” means the Date of commencement of this Act,

(h) “Lease” means lease of Deed for land of 2.28.acres (approx) of land made on the fifth day of August,1926 between the Collector of Patna and Mr. Sachchidanand Sinha in which the Building, staff quarters and vacant land within the compound walls of the scheduled institution are situated,

(i) “Prescribed” means prescribed by this Act or Rules made under this Act,

(j) “Prescribed Rule” means the Rules made under section 11 of this Act,

(k) “Chairman, Bihar State Public Library and Information Centre Authority” Bihar, Patna means, The chairman of the authority constituted under the provisions of the Bihar State Public Library and Information Centre Act 2008 as amended from time to time by the State Government.

(l) “ Authority” means The authority constituted under the provisions of the Bihar State Public Library and Information Centre, Act 2008;

(m) “The Government “ means the State Government of Bihar.

3. *Vesting on the appointed day.*- (1) The right title and interest of scheduled institution, SRIMATI RADHIKA SINHA INSTITUTE AND SACHIDANAND SINHA LIBRARY,Patna, shall stand transferred to and vest in the State Government from the commencement of this Act.

(2) All such assets, rights, leaseholds, powers, authorities and privileges and all property, movable, immovable including land, building, stores, machines, equipments, furniture, cash balance, cash in hand, reserve funds, investments, and book debts and all the right and interest in, or arising out of such property and all account Books, register and other documents related there to which were, immediately before the appointed day, in the ownership, possession, power and control of the scheduled institution whether within or outside India and other documents or whatever a nature relating thereto shall be deemed to be included in the scheduled Institution.

(3) Notwithstanding anything contained in subsection (1) of this section the State Government will not be required to pay any amount for the satisfaction of any debt, mortgage charge or other encumbrances or lien, trust or other obligations attached to the Scheduled institution on the appointed day.

4. *Certain consequences on vesting.*-Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in-force and except as otherwise provided in this Acton and from the appointed day.

(1) No proceeding for the winding up or liquidation of the scheduled institution shall be, or continue, in any Court.

(2) The Deed of trust, Deed of Agreement and Deed of lease of the land and all committees and sub committees related to the scheduled institution shall be deemed to be replaced and dissolved from the date of the commencement of this Act.

(3) All The officers and employees of the scheduled institution holding different posts shall be treated transferred to the State Government and they will become the officers and employees of the State Government, with the designations as determined their designation, tenure, remuneration, and condition of services will be the same, which were at

time of vesting of the scheduled institution, in the State Government until the State Government may not change their tenure, remuneration, and condition of services.

The State Government shall make enquiry by Education Department or Bihar State Public Library and Information Centre Authority with respect to validity of appointment of every officer or employee holding posts and based upon facts and recommendation of enquiry will take appropriate action.

5. Duty related to deliver possession.-(1) After vesting the scheduled institution in the State of Bihar under section 3, every person, in whose possession or custody or under whose control any property or assets, books of account, registers or other document related to the Scheduled institution are, shall forthwith deliver the same to the Bihar State Public Library and Information centre. Authority or the person/officer authorized by the authority.

(2) The Director may take all necessary steps for taking in his possession of any such Property, assets, books of account, registers or documents, and any use of force to be used such force as may be necessary.

(3) Delivery of possession to the Bihar State Public Library and Information centre. Authority, shall be equivalent to delivery of possession to the State Government.

(4) Without prejudice to the provisions of the foregoing sub-section, Any person referred to in sub-section (1) shall be liable to deliver the account to the Bihar State Public Library and Information centre. Authority, for any such property or assets, books of accounts, registers or documents which he has not delivered to the Authority.

6. Duty relating to furnish particulars.- The occupier of the scheduled institution shall, soon from the appointed day, furnish to such officer as specified by the authority complete details of expenditure on all liabilities and obligations on the security of the scheduled institution and subsisting on the appointed day, and also of all agreements and other instrument pertaining to the scheduled institution including agreements, decrees, awards, standing order and other terms of service of any person employed in the institution.

7. Amount to be paid for acquisition.- If any question arises for the payment of compensation for the acquisition of the scheduled institution, and its right, title, and interest, The State Government may pay only maximum one rupee after examining the claims;

Provided that the State Government shall have right to recover, after making audit of the financial position of the scheduled institution, in a proper manner from the Honorary Secretary, any officer, employee etc. of the scheduled institution, who may be found to have misappropriated any sum as revealed by such audit.

8. Functions, Power, and Procedure.- (1) For the due functioning of the Scheduled Institution, The authority may appoint an officer, or authorize an officer with the approval of the State Government, to control and perform all the function related to Scheduled Institution.

(2) The Authority may make such statutes for the smooth and better work performance of the Scheduled Institution, which may be in the interest of public and the state.

(3) The Authority shall have the same powers of Civil Court, which any civil court has while trying to suit or executing a decree under the code of Civil Procedure, 1908 Act (5 of 1908) in respect of the following matters:-

- (a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining on oath;
- (b) Receiving evidence on affidavit;
- (c) Executing or to make execute any order made by it;
- (d) Such other matters, if any as may be prescribed.

(4) The Authority shall have power to regulate its own procedure, and to review any of its decision in case of prima facie mistake in the record or to rectify also the arithmetical or clerical error therein.

(5) If for any reason any post (other than absence) falls vacant in the Scheduled Institution, the Authority, with the approval of Government may make appointment of the employee so that work of the Scheduled Institution may be duly performed.

9. Bar of Jurisdiction.- Every decision of the Authority will be final and shall not be called in question in any court.

10. Penalties.- (1) Any Person who :-

- (a) Any property asset, book of account, register or other document, forming part of or relating to the Scheduled Institution withhold Which are in his possession, custody or control from Submitting to the prescribed authority in contravention of section 5; or
- (b) wrongfully obtains possession of any such property asset, book of account, register or other documents; or
- (c) Conceals, destroys, or delete any book of account, register or other documents with interest to evade the provisions of section 5; or
- (d) willfully close not furnish any detail as required by section 5; or
- (e) furnishes such details in compliance with the requirement of section 6, which is false and, which he either knows or has reason to believe to be false, or does not believe to be true;
shall be punishable with imprisonment up to three years or with a fine or both;

(2) No Court shall take cognizance of an offence punishable under this section except with the previous sanction of the State Government .

11. Power to make rules.- (1) The State Government may by notification in the official gazette, make rules to carry out of the provisions' of this Act.

(2) All rules made under this Act shall as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature. While it is in session, of a total period of not less than fourteen days, extending to one session or more than one successive sessions and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the official gazette, subject to such modification or annulment as the two Houses of the legislature may, during the said period, agree to make so However, any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity to anything previously done or any action previously taken there under.

(3) If any difficulty arises in to giving effect to the provisions of this Act, the State Government may by order, which is not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty;

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the Appointed day.

12. Protection of Action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall be initiated against the State Government, the Authority or Scheduled Institution or any person authorized by them for performing any function under this Act or for anything, which is done or intended to be done in good faith under this Act or any rule or order made there under.

13. Repeal and Saving- (1) All the Acts, Rules, Regulations and Orders related to the scheduled Institution are here by repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Acts, Rules, Regulations, and orders shall be done or taken under this Act as if its was come in to force on the day on which such thing was done or such action was taken.

By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 536-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>